

293

40

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

051
20-9-13

R 3730-III/13



Rs. 20/-

- 1- बृंदावन यादव तनय नीलकण्ठ यादव
- 2- लोकनाथ यादव तनय नीलकण्ठ यादव

अधिकता प्रमाणित
 वा. 4/13/13
 रीवा, दि. 20/9/13

क्लर्क आफ कोर्ट
 राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
 (सर्किट कोर्ट) रीवा

20/9/13

निवासी ग्राम बदखर तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

—आवेदकगण/निगरानीकर्ता

बनाम्

1. केशकली चतुर्वेदी पत्नी स्व0 धर्मदास चतुर्वेदी
2. बृजकुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 श्री धर्मदास चतुर्वेदी
3. मनीष कुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 श्री धर्मदास चतुर्वेदी
4. अरविंद कुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 श्री धर्मदास चतुर्वेदी

सभी निवासी ग्राम बिरहुली तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

—अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय रघुराज नगर जिला सतना प्रकरण क्रमांक 222/अपील/2011-12 मे पारित आदेश दिनांक 06.09.2013

म0प्र0 वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 की कण्डिका 7 के अनुसार पुनरीक्षण।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06.09.2013 विधि, प्रकिया एवं प्रकरण मे


mm
 [Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3730-II/2013

जिला-सतना

वृन्दावन यादव/केशकली चतुर्वेदी वगैरः

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 222/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p>	<p> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>